कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली

परिपत्र

गर्मी की तैयार वर्दी के बारे में माप और गलत सिलाई इत्यादि से संबंधित अनेक शिकायतें मिलने के बाद मैसर्स सुपर हाउस लिमिटेड, फर्म ने गर्मी की वर्दियों में कांट-छांट (जिनमें जरूरी है) इत्यादि करने के लिए अपने दर्जियों को नियुक्त करना स्वीकार किया है। फर्म के दर्जी दिनांक 08.03.2010 से 15.03.2010 तक कमरा नंबर 279, द्वितीय तल, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली में उपलब्ध रहेंगे। अतः तृतीय श्रेणी (ग्रुप सी) के सभी कर्मचारी, जिन्हें गर्मी की वर्दी (पेंट व शर्ट) दी गई है और उन्हें इसमें कोई कमी महसूस होती है तो वे उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

तृतीय श्रेणी (ग्रुप सी) के वे कर्मचारी जिन्होंने वर्दी के लिए पहले माप नहीं दिया है वे उपरोक्त तारीखों पर फर्म के दर्जी को अपना माप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तृतीय श्रेणी (ग्रुप सी) के वे कर्मचारी जिन्होंने पूर्ति का आदेश दिनांक 19.11.2008 के बाद इस कार्यालय में कार्यग्रहण किया है उन्हें फर्म के दर्जियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। खरीद समिति ने यह निश्चय किया है कि वर्दियों में कांट-छांट की तय तारीखों के बाद गर्मी की वर्दियों से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं रहेगी।

(डी.के.मल्होत्रा)
अधीक्षक, खरीद शाखा
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

परिपत्र संख्या : 17498-17628 जनरल 2010 **दिनांक, दिल्ली 17.03.2010**

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न लिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. समस्त न्यायिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/अधीक्षक/अनुभाग पमुख तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त परिपत्र को अपने अधीन समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों में आबंटित करें।

2. अधीक्षक, देखरेख शाखा, तीस हजारी न्यायाल दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि दर्जियों को गर्मी की वर्दी में कांट-छांट करने के लिए उपरोक्त कमरा उपलब्ध करवाए।

अधीक्षक, खरीद शाखा
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

(उपरोक्त परिपत्र अंग्रेजी के परिपत्र का हिंदी अनुवाद है। मूल परिपत्र के लिए अंग्रेजी के परिपत्र को देखें)।

कार्यालय जिला न्यायाधीश-V एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
पटियाला हाउस न्यायालय परिसर नई दिल्ली।

परिपत्र

भवन रखरखाव समिति, पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, नई दिल्ली द्वारा भेजे गए बैठक के विवरण दिनांक 11.02.2010 से अधोहस्ताक्षरी को ज्ञात हुआ है कि पटियाला हाउस न्यायालय परिसर के अंदरूनी गलियारों में न्यायालय द्वारा निपटायी जा चुकी फाइलों से भरी हुई अलमारियां खड़ी हुई हैं और ये फाइलें अहलमदों के द्वारा रिकार्ड रूम में जमा नहीं करवाई गई हैं। इन फाइलों से संबंधित अहलमद आज भी पटियाला हाउस न्यायालय परिसर में कार्यरत हैं जबकि कुछ अन्य जिला न्यायालय परिसरों में स्थानांतरित किये जा चुके हैं।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी पुलिस जिलों तथा नई दिल्ली जिलें में नियुक्त सभी न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपने अधीन कर्मचारियों को निर्देश दें कि जिन्होंने भी पुलिस स्टेशनों (सूची संलंग्न) की निपटायी जा चुकी फाइलें पटियाला हाउस न्यायालय परिसर के गलियारों में खड़ी अलमारियों में रखी हुई हैं वे उन फाइलों के नंबरों की सूचना इस परिपत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर दक्षिणी जिले के अभिलेख कक्ष (रिकार्ड रूम), दंड (क्रिमिनल), में भेजें ताकि इसके बाद 15 दिन के भीतर ये फाइलें रिकार्ड रूम में जमा हो सकें। इस अवधि के उपरांत इन फाइलों के जमा करने संबंधित किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा तथा यह अवधि बीत जाने के बाद दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाएगी।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी पुलिस जिलों तथा नई दिल्ली जिलें के सभी प्रशासनिक अधिकारियों/अधीक्षकों/अनुभाग प्रभारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि आप अपने अधीन कर्मचारियों को निर्देश दें कि जिन्होंने भी पुलिस स्टेशनों (सूची संलंग्न) की निपटायी जा चुकी फाइलें पटियाला हाउस न्यायालय परिसर के गलियारों में खड़ी अलमारियों में रखी हुई हैं वे उन फाइलों के नंबरों की सूचना इस परिपत्र के जारी होने के 10 दिन के भीतर दक्षिणी जिले के अभिलेख कक्ष (रिकार्ड रूम), दंड (क्रिमिनल), में भेजें ताकि इसके बाद 15 दिन के भीतर ये फाइलें रिकार्ड रूम में जमा हो सकें। इस अवधि के उपरांत इन फाइलों के जमा करने संबंधित किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा तथा यह अवधि बीत जाने के बाद दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाही की जाएगी।

(गुरदीप कुमार)
जिला न्यायाधीश-V/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
प्रभारी न्यायाधीश, पटियाला हाउस न्यायालय परिसर,
दिल्ली।

परिपत्र संख्या : 17498-17628 जनरल 2010 **दिनांक, दिल्ली 17.03.2010**

(उपरोक्त परिपत्र माननीय जिला न्यायाधीश-V द्वारा जारी अंग्रेजी के परिपत्र का हिंदी अनुवाद है। मूल परिपत्र के लिए अंग्रेजी के परिपत्र को देखें)।

दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी पुलिस जिलों के पुलिस स्टेशनों की सूची

1 फतहपुर बेरी
2 वसंत कुंज दक्षिण
3 सफदरजंग एनक्लेव
4 डिफैंस कॉलोनी
5 लोधी कालोनी
6 के.एम.पुर
7 हौज खास
8 मालवीया नगर
9 साकेत
10 वसंत कुंज उत्तरी
11 नेब सराय
12 वसंत विहार
13 आर.एल.पुरम
14 महरौली
15 सरोजनी नगर
16 क्राइम ब्रांच और दक्षिणी पुलिस जिले की (गाय इकाई) कॉव सैल
17 सन लाइट कॉलोनी
18 न्यू फ्रैंडस कॉलोनी
19 जामिया नगर
20 हजरत निजामुद्दीन
21 लाजपत नगर
22 अमर कॉलोनी
23 ग्रेटर कैलाश
24 कालका जी
25 गोविंद पुरी
26 औखला इंडस्ट्रीयल एरिया
27 पुल प्रहलादपुर
28 सी.आर.पार्क
29 सरिता विहार
30 बदरपुर
31 जैत पुरम
32 संगम विहार
33 अम्बेडकर नगर
34 क्राइम ब्रांच और दक्षिण-पूर्वी पुलिस जिले की (गाय इकाई) कॉव सैल

कार्यालय जिला न्यायाधीश-1 एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के आदेश पृष्ठांकन संख्या 715/17197-238/एफ.1(3)/Gaz/2010 दिनांक 04 मार्च 2010 में नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर्स) श्री विपिन कुमार राय, प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश व अतिरिक्त किराया नियंत्रक (केन्द्रीय) का नाम असावधानी के कारण (1) केन्द्रीय कम्प्यूटरीकरण और सुविधा केन्द्र (2) कम्प्यूटर हार्डवेयर व सोफ्टवेयर खरीदने के लिए पुनर्गठित समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया गया था। वह नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर्स) तथा उपरोक्त समिति में सदस्य के तौर पर यथावत् बने रहेंगे।

यद्यपि, दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ जो भी पत्राचार किया जाएगा वह केवल अद्योहस्ताक्षरी के माध्यम से ही होगा।

(जी.पी.मित्तल)
जिला न्यायाधीश-1 एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली।

संख्या **22024-035**/एफ.1(3)/Gaz/2010 दिल्ली, दिनांक **25 मार्च 2010**

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. जिला न्यायाधीश- II से III, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. श्री चन्द्रशेखर, चेयरमैन/प्रभारी न्यायाधीश, मध्यस्थता केन्द्र, रोहिणी।
3 संबंधित अधिकारी।
4. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश (केन्द्रीय), तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
5. अधीक्षक, कम्प्यूटर अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय, दिल्लीं
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, तीस हजारी न्यायालय परिसर दिल्ली।
7. रीडर, जिला न्यायाधीश-1 एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली।
8. अनुभाग प्रभारी, सुविधा केन्द्र, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. कार्यालय जिला न्यायाधीश-1, कमरा नंबर 302-ए, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
10 वेबसाइट समिति (हिंदी व अंग्रेजी), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।

जिला न्यायाधीश-1 एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली।

(उपरोक्त परिपत्र अंग्रेजी के परिपत्र का हिंदी अनुवाद है। मूल परिपत्र के लिए अंग्रेजी के परिपत्र को देखें)।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश : दिल्ली

परिपत्र

इस स्थापना के योग्य कर्मचारी कृपया परिपत्र संख्या 251/Estt./E-IV/DHC दिनांक 18.03.2010 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर ध्यान दें जो पृष्ठांकन संख्या 9271-78/Estt./E-VI/DHC दिनांक 18.03.2010 के द्वारा वरिष्ठ न्यायिक सहायक (सीनियर ज्यूडिशल असिस्टैंट), कोर्ट अफिसर व रीडर (पद्दोन्नति/चयनित पद) के पदों के संबंध में रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली से प्राप्त हुई थी।

इच्छुक कर्मचारियों के आवेदन पत्र आवश्यक तौर पर दिनांक 07.04.2010 तक या इससे पूर्व इस कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए ताकि, तद्नुसार, उन्हें स्थापना अनुभाग, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा सके। तय तारीख के बाद ऐसे किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

ध्यान दें :- उपरोक्त पद के लिए परीक्षा की तारीख को 08 मई 2010 (द्वितीय शनिवार) पढ़ा जाए।

(दुर्गा प्रसाद)
अधीक्षक, प्रशासन अनुभाग
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिल्ली।

संख्या **प्रशासन-II /परिपत्र/2010 19070-19620** दिल्ली, दिनांक **27.03.2010**

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए परिपत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. जिला न्यायाधीश-II से IX , दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त न्यायिक अधिकारी, तीस हजारी, कड़कड्डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ परिपत्र की प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियेां को इसके बारे में सूचित करें।
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक, अनुभाग प्रभारी तीस हजारी, कड़कड्डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
4. समस्त जनसंपर्क अधिकारी/सहायक जनसंपर्क अधिकारी, तीस हजारी, कड़कड्डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
5. निदेशक, दिल्ली न्यायिक अकादमी, कड़कड्डूमा न्यायालय, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ परिपत्र की प्रतिलिपि प्रेषित की जाती है कि उन सभी कर्मचारियों को परिपत्र के विषय में सूचित करें जो आप अपने अधीन परिवर्तित क्षमता में कार्यरत हैं।
6. प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण, प्रिंसिपल बैंच, सेना भवन नई दिल्ली-15।
7. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रोहिणी न्यायालय परिसर द्वारका नई दिल्ली।
8. सचिव, दिल्ली विधिक सेवा समिति तीस हजारी, कड़कड्डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका न्यायालय परिसर, दिल्ली/नई दिल्ली।
9. अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय रोहिणी न्यायाल परिसर दिल्ली।
10. वेबसाइट समिति तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
11. निजी कार्यालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, दिल्ली।
12. संबंधित कर्मचारी, सर्वर कक्ष कमरा नंबर 207, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।
13. संबंधित कर्मचारी, हिंदी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय दिल्ली।

(दुर्गा प्रसाद)
अधीक्षक, प्रशासन अनुभाग
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिल्ली।

नोट : - (उपरोक्त परिपत्र अंग्रेजी के परिपत्र का हिंदी अनुवाद है। मूल परिपत्र के लिए अंग्रेजी के परिपत्र को देखें)।